

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आईएल0आर0  
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

गदलाकवां महोदयजी

प्रार्थी का नाम जमावंडी

2075-78 में संतुष्ट से महेन्द्रसिंह पुत्र झुंवाराम दर्ज हो गया जबकि आवार कार्ड, पटवारी  
पत्र में महेन्द्रसिंह पुत्र शावर राम दर्ज है जो कि सही किया जाना उचित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

क्रमांक - राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम सुरक्षित किया जाने की अभिशंका की जाती है/नहीं की जाती है।

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

760  
21

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

:- आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नलिखित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दस्तावेज के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
	गदलाकवां	2075-78	214	महेन्द्रसिंह पुत्र झुंवाराम	महेन्द्रसिंह पुत्र शावर राम

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 526 - 529

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :-

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

